रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2019/अग्रहायण 8, 1941
No. 695] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2019/AGRAHAYANA 8, 1941

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 884(अ).—केन्द्र सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वित्त सलाहकार) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वित्त सलाहकार के पद के लिए भर्ती पद्धति का विनियमन करने की लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वित्त सलाहकार) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (12) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** – वह व्यक्ति;

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित पद है या गैर-चयनित पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अध्यक्ष	01*(2019) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अननुसचिवीय	स्तर-15 (1,82,200 – 2,24,100/-रूपए) ।	अचयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शिक्षा तथा अन्य शैक्षिक अर्हताएं	प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के मामले में क्या आयु सीमा लागू होगी	परिविक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रति नियुक्ति द्वारा/विलयन तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिसके लिए प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है	यदि विभागीय चयन है या पदोन्नति समिति गठित है तो उसकी संरचना क्या है	ऐसी स्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : **(अ)** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा स्वशासी निकाय अथवा कानूनी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर	लागू नहीं।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

सदृश्य पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (1,44,200-2,18,200/-रूपए) अथवा समकक्ष में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते होः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन एवं अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में अठारह वर्ष का अनुभव हो; या (iii) मास्टर योजनाएं, बाढ़ प्रबंधन के संबंध में व्यापक योजनाएं तैयार करने, नदी प्रशिक्षण कार्य और सामान्य प्रशासन में अठारह वर्ष का अनुभव हो। **(आ)** अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी: (i) जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए है; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (1,44,200-2,18,200/-रूपए) अथवा समकक्ष में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन एवं अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में अठारह वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पणी 1**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उपाध्यक्ष	01*(2019) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह ‘क’, अननुसचिवीय	स्तर-14 (1,44,200 – 2,18,200/-रूपए) ।	अचयन होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : **(क)** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा स्वशासी निकाय अथवा कानूनी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी: (अ) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हुए हो; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13क (1,31,100-2,16,600/-रूपए) अथवा स्तर-13 (1,18,500-2,14,100/-रूपए) अथवा समकक्ष में क्रमश: दो अथवा तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (आ) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन एवं अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव रखते हो; अथवा (iii) मास्टर योजनाएं, बाढ़ प्रबंधन के संबंध में व्यापक योजनाएं तैयार करने, नदी प्रशिक्षण कार्य और सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव रखते हो। **(ख)** अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी: (i) जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हुए हों; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13क (1,31,100-2,16,600/-रूपए) अथवा स्तर-13 (1,18,500-2,14,100/-रूपए) अथवा समकक्ष में क्रमश: दो अथवा तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन एवं अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। **टिप्पणी 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रति नियुक्ति की अवधि है साधरणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वित्त सलाहकार	01* (2019) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह क, अननुसचिवीय	स्तर-14 (1,44,200 – 2,18,200/-रूपए) ।	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800–2,09,200/- रुपए) में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उप वित्त सलाहकार जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा, पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** भारतीय लेखा परीक्षा एवम् लेखा सेवा अथवा भारतीय रक्षा लेखा सेवा अथवा भारतीय रेल लेखा सेवा अथवा भारतीय डाक और तार (वित्त एवं लेखा सेवा) अथवा भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधीन ऐसे अधिकारी: (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हुए है; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13क (1,31,100-2,16,600/-रुपए) अथवा स्तर-13 (1,18,500-2,14,100/-रुपए) अथवा समकक्ष में क्रमश: दो अथवा तीन वर्ष	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी** :- 1. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग -अध्यक्ष; 2. सचिव, विधुत मंत्रालय -सदस्य; 3. वित्त सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

की नियमित सेवा की हो; अथवा (iii) ऐसे अहर्ता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा लागत लेखाकार अथवा वित्त में विशेषता के साथ एम.बी.ए. जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा स्वशासी निकाय अथवा कानूनी संगठनों में कारपोरेट लेखा और कारपोरेट वित्त से संबंधी कार्य करने का 15 वर्ष का अनुभव रखते है। **टिप्पणी 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रति नियुक्ति की अवधि है साधरणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 2/16/2010-ई-III(बीबीई.)]

नीतीश्वर कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2019

G.S.R.884(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (e) of sub-section (2) of section 28 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980) and in supersession of the Ministry of Water Resources, Brahmaputra Board (Chairman, Vice-Chairman and Financial Adviser) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chairman, Vice-Chairman and Financial Adviser in the Brahmaputra Board, namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board (Chairman, Vice-Chairman and Financial Adviser) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc**. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chairman	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-ministerial.	Level-15 (Rs.1,82,200-2,24,100/-).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which consultation with Union Public Service Commission is necessary
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): **(A).** Officers under the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Autonomous Bodies or Statutory Organisations:- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in the grade in level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent with three years regular service; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and (ii) Eighteen years' experience in the field of	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management; or (iii) Eighteen years' experience in the preparation of Master Plans or Comprehensive Plans for Flood Management or River Training Works or General Administration. **(B).** All India Service officers: (i) holding an analogous post in the Central Government or State Government on regular basis; or (ii) with three years regular service in level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent in Central Government or State Government; and (iii) Eighteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management. **Note 1.-** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall not exceed five years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation or short-term contract appointment shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	*(4)*	(5)	(6)
2. Vice-Chairman	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-ministerial	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract) : **A**. Officers under the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or recognised Research Institutions or Autonomous Bodies or statutory organisations: (a) (i) holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in level-13A (Rs.1,31,100-2,16,600/-) or level-13 (Rs.1,18,500-2,14,100/-) in pay matrix or equivalent with two or three years regular service respectively; and (b) possessing the following educational qualifications	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

and experience: (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and (ii) Fifteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management; or (iii) Fifteen years' experience in the preparation of Master Plans or Comprehensive Plans for Flood Management or River Training Works or General Administration. **B.** All India Service officers : (i) holding an analogous post in the Central Government or State Government on regular basis; or (ii) officers in level-13A (Rs.1,31,100-2,16,600/-) or level-13 (Rs.1,18,500-2,14,100/-) in pay matrix or equivalent with two or three years regular service respectively; and (iii) Fifteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management. Note 1.- The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government or State Governments shall not exceed five years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation or short term contract appointment shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Financial Adviser	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', – Non-ministerial	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by Deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
Promotion: Officer holding the post of Deputy Financial Adviser in the Brahmaputra Board in level-12 (Rs. 78,800-Rs.2,09,200/-) in the pay matrix with eight years of regular service. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion and selection) consisting of:** (i) Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Chairman; (ii) Secretary, Ministry of Power - Member; (iii) Financial Adviser, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract) :** Officers in the Indian Audit and Accounts Service or Indian Defence Accounts Service or Indian Railway Accounts Service or Indian Post and Telegraphs (Finance and Accounts Service) or Indian Civil Accounts Service:- (i) holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in level-13A (Rs.1,31,100-2,16,600/-) or level-13 (Rs.1,18,500-2,14,100/-) in pay matrix or equivalent with two or three years regular service respectively in the grade; or (iii) Qualified Chartered Accountant or Cost Accountant or M.B.A. with specialisation in Finance with experience of at least fifteen years in handling Corporate accounting and Corporate finance matters in Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organisations under Central Government or State Governments. **Note 1**: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years. **Note 2**.- The maximum age-limit for appointment by deputation or short term contract shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 2/16/2010-E.III (BBE)]

NITISHWAR KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.29 15:44:19 +05'30'